

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/स्था0/जोन-अजमेर/x-01 part-01363/2023/187

दिनांक:-02/03/2023

—: आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक 309 दिनांक 28.04.2020 एवं 310 दिनांक 28.04.2020 द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकों द्वारा दो वर्ष का परीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परीक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/नर्सिंग/एएनएम/भर्ती-18/25/351 दिनांक 23.03.2022 एवं 386 दिनांक 30.03.2022, 253 दिनांक 13.09.2022 के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स श्रेणी द्वितीय/नर्सिंग ऑफिसर के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिका का नाम व पद (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परीक्षाकाल की गणना की जानी है	परीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परीक्षाकाल पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	मनीषा जाट	टोंक	03.09.1992	12.10.2020	—	11.10.2022	12.10.2022
02	भोलाराम चौधरी	अजमेर	28.06.1990	07.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022

उक्त कार्मिकों के द्वारा यदि परीक्षाकाल में एक माह से अधिक असाधारण अवकाश का उपयोग किया गया है, तो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में नियमानुसार परीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक जे0 एल0 एन0 मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।
4. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।